पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

कृषक के बिना लिखित सहमति के चीनी मिलें नहीं करेंगी गन्ना आपूर्ति पर्ची डिग्रेड–गन्ना आयुक्त

किसान टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर पर दर्ज करा सकतें हैं शिकायत

कृषक की बिना लिखित सहमति के पर्ची डिग्रेड कर गन्ना तौल करना अनुचित, किसानों ने की शिकायत

किसानों के आपूर्ति हेतु लाने वाले डिग्रेड वैरायटी गन्ना को वापस न करें चीनी मिलें

किसान को पूर्ण जानकारी देते हुए लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही गन्ना तौल की कार्यवाही की जाए सुनिश्चित

गन्ना कृषकों को प्रजाति परिवर्तन हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके

किसानों की शिकायत पर विभाग सख्त, पर्ची डिग्रेड कर गन्ना खरीद पर निगरानी तेज

लखनऊ : 25 फरवरी, 2026

प्रदेश की कुछ चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को निर्गत गन्ना आपूर्ति पर्ची पर अंकित प्रजाति को डिग्रेड कर गन्ना खरीद करने की जानकारी संज्ञान में आई है। इसकी शिकायत विभागीय टोल फ्री नम्बर पर भी प्राप्त हुई हैं। किसानों की लिखित सहमति के बिना गन्ना पर्ची डिग्रेड कर गन्ना तौल करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

इस संबंध जिला एवं परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि डिग्रेड कर गन्ना तौल करने संबंधी प्रकरण में विधिमान्य व संगत नियमों के अनुरूप जाँच कराकर यह सुनिश्चित किया जाये कि किसान द्वारा लाये गये गन्नें को चीनी मिल द्वारा

डिग्रेड वैरायटी में परिवर्तित कर गन्ना आपूर्ति करने के लिए किसान की लिखित सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये तथा चीनी मिलें किसान द्वारा आपूर्ति हेतु लाये गये गन्ने को कदापि वापस न करें, बल्कि किसानों को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए लिखित सहमति के उपरांत ही चीनी मिलें तौल की कार्यवाही करें।

इस संबंध में कृषकों से अपील है कि गन्ना आपूर्ति के समय डिग्रेड वैरायटी में परिवर्तित करनें संबंधी किसी प्रकार की समस्या होने पर विभागीय टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर **1800 121 3203** पर दर्ज करा सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र– केवल

राघवेन्द्र / 05:30 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in